THE PROACTIVE DICLOSER DOCUMENTS AS PER SECTION 4B (L-XVII) OF RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

1— संगठन(विभाग),दायित्व एवं कर्त्तव्य :

संगठन(विभाग) : मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार का जिला स्तरीय कार्यालय सहायक मनोरंजन कर आयुक्त,कलक्ट्रेट बुलन्दशहर है।

दायित्व एवं कर्त्तव्य : जनपद में संचालित सिनेमागृहों का आकस्मिक निरीक्षण एवं उनसे निर्धारित समय में देय मनोरंजन कर राजकोष में जमा कराने के साथ—साथ अन्य आमोद गृहों/केबिल टी0वी0नेटवर्क/डी0टी0एच0/वीडियो सी0डी0लाइब्रेरियों आदि से लाइसेंस शुल्क/मनोरंजन कर जमा कराने का दायित्व है।

2— अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

जिला मनोरंजन कर कार्यालय के कार्यो के निर्वहन एवं सम्पादन हेतु जिला मनोरंजन कर अधिकारी एवं मनोरंजन कर निरीक्षकों,वरिष्ठ मनोरंजन कर लिपिक/कनिष्ठ लिपिक आदि कार्यालय स्टाफ की व्यवस्था होती है,जो जिला मनोरंजन कर अधिकारी के मार्ग—दर्शन व निर्देशन में कार्य करते हैं।

3— निर्णय लेने की विधि,जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित हो :

किसी भी कार्य को सम्पादित करने के निर्णय का अन्तिम अधिकार जिला मजिस्ट्रेट महोदय को है,कार्यो के सम्पादन हेतु परीक्षण एवं जिम्मेदारी का प्रारम्भ कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/मनोरंजन कर निरीक्षकों/वरिष्ठ मनोरंजन कर निरीक्षक से प्रारम्भ होकर जिला मनोरंजन कर अधिकारी तक होता है। तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय अन्तिम निर्णय लेते हैं।

4— क्रियाकलापों के पूर्ण करने के नियम/आधार :

मनोरंजन कर विभाग,बुलन्दशहर में उ0प्र0सरकार/मनोरंजन कर आयुक्त,उत्तर प्रदेश/जिला मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर के द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यकलापों का सम्पादन किया जाता है।

5— रूल्स,रेगुलेशन्स,इन्सट्रक्शन्स,मैनुअल्स एवं रिकॉर्ड :

विभाग से संबंधित सभी प्रकार के शासनादेश,निर्देश व मार्गदर्शन जारी किये जाते हैं, वे सभी उ0प्र0शासन, मनोरंजन कर आयुक्त उ0प्र0/जिला मजिस्ट्रेट महोदय के स्तर पर निर्गत होते हैं और उनका रख—रखाव व उपलब्धता जनपद स्तर पर उपलब्ध होता है।

6— नियंत्रणाधीन अभिलेखों की श्रेणी :

जनपद स्तर पर सभी प्रकार के शासनादेशों,अधिनियमों व नियमों तथा समय–समय पर मनोरंजन कर आयुक्त,उत्तर प्रदेश,लखनऊ के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का रख–रखाव गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जाता है।

7— परामर्श की व्यवस्था :

जिला मनोरंजन कर विभाग से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराने की व्यवस्था कार्यालय स्तर पर है।

8— बोर्ड काउन्सिल कमैटी :

दूरदर्शन/निजी चैनलों के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित है।

9— अधिकारी/कर्मचारियों की सूची :

1—	जिला मनोरंजन कर अधिकारी	— 01
2—	वरिष्ठ मनोरंजन कर निरीक्षक	— 02
3—	मनोरंजन कर निरीक्षक	— 04
4—	वरिष्ठ मनोरंजन कर लिपिक	— 01
5—	कनिष्ठ लिपिक	— 01

10— अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धियां :

जिला मनोरंजन कर कार्यौलय,बुलन्दशहर में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभ की परिलब्धियां प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती हैं।

11— जिला मनोरंजन कर कार्यालय को आवंटित बजट :

1— वेतन

12— उपादान एवं छूट को उपलब्ध कराने की विधि :

शून्य

13— रेसिपियेन्स आफ कन्सेसंस,परमिटस आफ ऑथराइजेशन ग्रान्टेड :

शून्य

14— इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना :

शून्य

15— नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सुविधा :

इस प्रकार की सूचना कार्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

16— पब्लिक इन्फोरमेशन अधिकारी का विवरण(नाम एवं ऑथोरिटी) :

1— श्री सुधीर कुमार,जन सूचना अधिकारी

2— श्री ए0के0बंसल,सहायक जन सूचना अधिकारी

17— अन्य सूचना :

3
1
शून्य

(सुधीर कुमार)
जिला मनोरंजन कर अधिकारी,
बुलन्दशहर।